

प्रमाणानुसार दिनांक..... को पारा है।

एक डी० ओ०

२४/६

पत्रालय की कार्यवाही को रोकना और प्रशासनिक  
कार्यवाही को बाध देना आदि कार्य आदि प्रशासनिक  
कार्यवाही से आशय है पत्रालय की कार्यवाही  
पत्रालय की कार्यवाही को रोकना और प्रशासनिक  
कार्यवाही को बाध देना आदि कार्य आदि प्रशासनिक

एन

राजस्थान सरकार

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ) कैम्प, कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक शिखा सोनी रा.स.ड.  
उपवान किशनगाल बनाम कमलेश

दावा बाबत:- रु. 28, 29, 188 रु. का श. कर

मुकदमा नम्बर:- 214/16

निर्णय दिनांक:- 28.6.18

वादी की ओर से श्री विवेक शिखा सोनी की व प्रतिवादी की ओर से कमलेश

की उपस्थिति में आज तारीख 28.6.18 को किशनगाल ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष शिखा

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - विवाहित कपड़ी उठ खेन

- 718 रु. का 1-15 वीधा वरुण ग्राम कोटकासिम इ.स.क.ड.र डि.की विद्यालयादि
- कि वही रु. 1 का 1/28, 2 का 1/35, 3 का 1/35, 4 का 1/35, 5 का 1/35, 6 का 2/19,
- 7 का 2/105, 8 का 1/92, 9 का 1/163, 9 का 1/79, 10 का 1/30, 11 का 2/25, 12 का 1/35,
- 12 का 1/35, 13 का 1/35, 14 का 1/35, 15 का 1/35, 16 का 1/35, 17 का 1/35,
- आदि का श. कर का श. कर को प्रतिवादी का नाम उठाने का नाम उठाने
- का वही नाम के नाम का श. कर राजस्व डि.की में किया जावे।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।  
यह आज तारीख 28.6.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

CM  
( विवेक शिखा सोनी RA.S )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर कोटकासिम

वाद के खर्चे